न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 04 / 2023

अनवान : —

1. मनीषा पत्नी श्री चन्द्रपाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. राममूर्ति पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा ।

अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 12/6/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 128 / 80 के मु0न0 42 के किला न0 3, 4, 5 / 1, 6 / 3 की कुल 0.8725 है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व इसी प्रकार चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 80 / 73 के मु0न0 42 के किला न0 5 / 2 की 0.013 है0, किला न0 6 / 1 की 0.013 है0, 14 ता 18 की 1.265 है0, किला न0 23 / 1 की 0.240 है0, किला न0 23 / 2 की 0.013है0, किला न0 24 / 1 की 0.240है0, किला न0 24 / 2 की 0.013है0, किला न0 25 / 1 की 0.240है0, किला न0 25 / 2 की 0.013है0 कुल 2.050है0 अप्रार्थीया राममूर्ति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 80 / 73 के मु0न0 42 के किला नं0 5 / 2 की 0.013है0, किला 6 / 1 की 0.013है0, किला नं0 15 की 0.013है0, किला नं0 16 की 0.013है0, किला नं0 25 / 1 की 0.013है0, इस प्रकार कुल 5 बीघा उत्तर से दक्षिण लम्बाई में एक बिस्वा चौड़ाई में आवागमन हेतु कृषि भूमि खरीद करते समय रख लिया था। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में अप्रार्थीया रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थीया की खातेदारी के चक 7

डीपीएन के खाता संख्या 80/73 के मु0न0 42 के किला नं0 5/2 की 0.013है0, किला 6/1 की 0.013है0, किला नं0 15 की 0.013है0, किला नं0 16 की 0.013है0, किला नं0 25/1 की 0.013है0, इस प्रकार कुल 5 बीघा उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी तरफ एक बिस्वा चौडाई रास्ता का उपयोग करता है लेकिन उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने रास्ता की एवज में भूमि के बदले आपस में लेन-देन पहले ही किया जाना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 80/73 के मु0न0 42 के किला नं0 5/2 की 0.013है0, किला 6/1 की 0.013है0, किला नं0 15 की 0.013है0, किला नं0 16 की 0.013है0, किला नं0 25/1 की 0.013है0 उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी तरफ एक बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिसके प्रतिफल में अप्रार्थीया ने आपस में लेन-देन पहले ही किया जाना स्वीकार किया है । इस प्रकार प्रार्थीया के आवागमन तथा नियमित उपयोग-उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 80/73 के मु0न0 42 के किला नं0 5/2 की 0.013है0, किला 6/1 की 0.013है0, किला नं0 15 की 0.013है0, किला नं0 16 की 0.013है0, किला नं0 25/1 की 0.013है0 उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी तरफ एक-एक बिस्वा चौड़ाई में रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 12-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़